

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015
(दूरभाष 0141-2740837, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ-4(ई)(1)(6)क.ले./भर्ती(2023) /अलेसे-III/ 516

दिनांक:- 1-5-2025

परिपत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाया गया है कि नव चयनित कनिष्ठ लेखाकारों से कुछ विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के पार्ट-। परिशिष्ट (V) में वर्णित कनिष्ठ लेखाकार पद के कर्तव्यों व उत्तरदायित्व के अनुरूप कार्य नहीं लिया जाकर लिपिकिय/अन्य कार्य संपादित कराया जा रहा है जो राज्य सरकार द्वारा Gf&AR Part-I में निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं है। अतः समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों से अनुरोध है कि नव चयनित कनिष्ठ लेखाकारों से सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के पार्ट-। परिशिष्ट (V) में वर्णित कनिष्ठ लेखाकार पद के कर्तव्यों व उत्तरदायित्व के अनुरूप ही कार्य लिये जाने का श्रम करावें।

8
M✓

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

दिनांक:- 1-5-2025

क्रमांक:- एफ-4(ई)(1)(6)क.ले./भर्ती(2023) /अलेसे-III/ 516

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
3. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
4. उप निदेशक ए.सी.पी. को विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक कोष एवं लेखा विभाग जयपुर।
6. गार्ड फाईल।

4 cerna
(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)